

o F n Name & Address or Borrower/

## UTTAR BIHAR GRAMIN BANK Regional Office, Bettiah

Public Auction Sale Notice/ Auction Date 04.09.2024 (For Immovable Properties)

Public Auction/Sale Notice For Immovable Assets
Auction Notice u/s 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and
Enforcement of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI Act, 2002) read with Rule 6(2) and
/or Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas the undersigned the Authorized Officer of the Uttar Bihar Gramin Bank u/s 13(2) of the above said SARFAESI ACT, 2002 and in exercise of the powers conferred u/s 13(2) of the said Act read with Rule 3 issued a Demand Notice calling upon the Borrower(s) and Guarantors(s) Mortgagor(s) to repay the amount in terms of the said notice within 60 days from the date of the said notice. And whereas the Borrower(s)/Guarantor(s) having failed to repay the amount and hence, the undersigned, in exercise of the powers conferred u/s 13(4) of the said Act read with Rule 4 and/or Rule 8 of the Rules has taken over the possession of the property/properties (here in after referred as the said properties). And whereas the undersigned in exercise of the powers conferred u/s 13(4)(a) of the SARFAESI Act, 2002 proposes to realize the bank's dues by Sale of the said properties. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortaged/charged to the Secured Creditors, the constructive Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Uttar Bihar Gramin Bank. Secured Creditor, will be sold on "As is where is." "As is what is" and "whatever there is" basis the date as mention in the table herein below. for recovery of dues mentioned. Notice is again hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagor(s) that the Authorised Officer has decided to invite BID/tenders/quotations the Immovable properties mentioned below under SARFAESI Act 2002. So, the interested persons/Bidders are invited to submit their BID, by fulfil all terms & conditions mentioned below, in a sealed envelop on or before 03.09.2024 at Uttar Bihar Gramin Bank, Regional Office, Supriya Cinema Road, Station Chowk, Bettiah, West Champaran, BID will be opened on 04.09.2024 At 3:00 PM

Sr. No	Branc Name	Guarantor / Mortgager And Account No	Description of Immovable Property	Possession Type	Amount (Rs.)	(INR) EMD	Dispute Detail of incumbrances
1.	Patkhauli Malkauli	Borrower- Smt. Uma Shahi W/o Shree Rajeev narayan Shahi, Vill Babu Parsauni, PO- manpur Makri, PS-Bathwariya, Dist West Champaran, Guarantor - 1. Nagina Yadav S/o Darshan Yadav, Vill Babu Parsauni, Manpur Makri, PS- Bathwariya, Dist West Chamapran, 2.Rajeev Narayan Shahi S/o Rajendra Narayan Shahi, Vill Babu Parsauni, Manpur Makri, PS-Bathwariya, Dist West Chamapran, 3. Lat Mani Sharma, S/o Ramlagan Sharma, Vill Babu Parsauni, Manpur Makri, PS- Bathwariya, Dist West Chamapran,	in the name of Smt Uma Shahi W/o Shree Rajeev Narayan Shahi, VillBabu Parsauni, PO- Manpur Makri, PS- Bathwariya, Dist West Champaran, Deed No 6254/09 Mauza- Dumwaliya, Thana No145, Khata No114, Khesra No20MO, Reg. Office - Bagha, Dist West Champaran, Area - 5 Dhur 15 Dhurki, Boundary: North - Suresh Chaurasiya, South- Dinesh Singh, East- Sarehi Chhawar, West Lalit	31.08.2022 Date of Possession Notice - 23.11.2022	Rs. 643149+ (From 31.08.22 Plus Interest + Legal Expense)	Rs. 13,59,585/- Rs. 1,35,958/-	Not Known

Demand Notice Date/

Terms & Conditions of Sale- 1. Interested Bidders have to submit their BID in sealed envelops Along With Pan Card & Photo Identity Card (Clear & Readable BID Serial number & Date of publication should be mentioned over the envelop), 2. Bidders have to submit/attach 10% Reserve price as earnest money deposit in form of DD/Banker's cheque favoring "Authorised Officer, Uttar Bihar Gramin Bank, Regional Office, " & payable at Bettiah, in advance along with the BID. The Highest BID value (should not be less than the Reserve price) will be considered as successful Bidder & rest EMD of unsuccessful Bidder will be sent back without interest within a week. 3. Successful Bidder will have to deposit 25% of the BID amount (including EMD) at the same day in form of DD/Bankers' Cheque and rest amount will have to be paid strictly within 15 days of confirmation of the said. If he fails to do so, the amounts previously deposited by him will be seized. 4. Authorised Officer reserves the right to accept/ reject/ canceal/ suspend any BID/Highest one without intimation about any reason or prior notice. Authorised Officer reserves the right to extend the date of Sale/Auction. 5. Authorised Officer would not be held liable for any type of due charges/lien/encumbrances/taxes/Govt. dues and other party claims & dues. 6. Property would not be sold an amount less than the Reserve Price. The successful Bidder will have to entertain all stamp duties & registration Fee at self. 7. Stamp duty registration fee to successful auction banana, Property tax or the amount due to the state government etc. will have to be borne by himself. 8. BID/Sale will be subject to confirmation by Bank. Properties will be sold on "As is where is". "As is what is" and " whatever there is" basis. 9. This is the sole responsibility of the Bidders to be satisfy & be confirmed about the properties. They can visit/inspect the properties by seeking time from the respective branches at any working day from 12:00 noon to 4:00 pm. 10. Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s)/Guarantor(s)/Mortgagors. 11. For detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in Secured Creditor's website, i.e. https://www.ubgb.in/sarfaesinotice.php.

Date: 03.08.2024
Place: Bettiah
Authorized Officer



## उत्तर बिहारू ग्रामीण बैंक

क्षेत्रीय कार्यालय : बेतिया

सार्वजनिक बिक्री नीलामी सूवना/ नीलामी तिथि ०४-०९-२०२४ (अवल सम्पत्तियों हेतु)

अचल सम्पत्तियों के लिए सार्वजनिक नीलामी बिक्री सचना वित्तीय आस्तियों की प्रतिभृतिकरण और पुननिर्माण तथा प्रतिभृति हित के प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की घारा १३(४) (सरफेसी अधिनियम, २००२) साथ में पठित प्रतिभृति हित (नियमों, २००२ के नियम ६(२) और/या नियम ८ (६) के अधीन नीलामी सुवन

जैसांकि, उक्त कथित सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन और कथित अधिनियम की धारा 13(2) में पठित नियम 3 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,**उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक** के प्राधिकत अधिकारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मांग सचना जारी की जिसमें तथा कर्जदार ( रों ) और गारंटीदाता( ओं )/ बंधककर्ता( ओं ) को कथित सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर कथित सचना के अनुसार राशि का भगतान करने को कहा गया और जैसांकि कर्जदार(रों)/ गारंटीदाता(ओं) बंधकदाता(ओं)/ने राशि का भगतान नहीं किया और अतः अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम की धारा 13(4) साथ में पठित नियमों के नियम 4 और/या नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हएि सम्पत्ति/संपत्तियों (इसके बाद कथित सम्पत्तियों नाम से निर्दिष्ट का कब्जा ले लिया है ) जैसा कि अधोहस्ताक्षरी, सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4)(ए) के तहत प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में कथित सम्पत्तियों की बिक्री द्वारा बैंकों के बकायों की वसूली का प्रस्ताव रखते हैं। एतदुद्वारा जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को सुचना दी जाती है कि निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति जो प्रतिभृत लेनदारों के पास बंधक/प्रभारित पड़ी है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी, **उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक** , प्रतिभुत लेनदार द्वारा ले लिया गया है, जिसे निम्नांकित बकायों की वसुली हेतु निम्नांकित सारणी में अंकितानुसार तिथि को ''जैसा है जहां है, जैसा है जो है'' और ''जो है वही है' आधार पर बेचा जायेगा। जनसाधारण और विशेष रूप से कर्जदार (रों) और गारंटीदाता (ओं)/बंधककर्ता (ओं) को एतद्द्वारा दोबारा सूचित किया जाता है कि प्राधिकृत अधकारी ने सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन निम्नांकित अचल सम्पत्तियों के लिए बोली/निवदाएं/कोटेशन्स आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। इसलिए, इच्छक व्यक्तियों/बोलीदाताओं को 03-09-2024 को या उससे पहले, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, सुप्रिया सिनेमा रोड, स्टेशन चौक, बेतिया, पश्चिम चम्पारण में मुहरबन्द लिफाफे में, निम्नांकित नियम व शर्तों को परा करके अपनी बोली प्रस्तत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है । निविदा 04-09-2024 को दोपहर 3.00 बजे खोली जायेगी ।

क्र. सं.	ज्ञाखा का नाम	बकायेदार/जमानतदार का नाम पता व खाता संख्या	संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि/ अधिग्रहण तिथि / अधिग्रहण प्राकर	बकाया धनराशि ( रू. )	आरक्षित धनराशि/ अग्रधन धनराशि (इंएमडी) रू.	1. आरक्षित मूल्य 2. ईएमडी
1	पटखोली मलकोली	ऋणी- श्रीमतो उमा शाही पति श्री राजीव नारायण शाही ग्राम-बाबू परसौनी, पोमनपुर मकरी, श्राना-बथवरिया, जिला- पश्चिम चम्पारण, गारंटर -1. निगना यादव पिता दर्शन यादव, ग्राम-बाबू परसौनी, पोमनपुर मकरी, श्राना-बथवरिया, जिला- पश्चिम चम्पारण, 2. राजीव नारायण शाही पिता राजेन्द्र नारायण शाही, ग्राम-बाबू परसौनी, पोमनपुर मकरी, श्राना-बथवरिया, जिला- पश्चिम चम्पारण, 3. स्व. मणी शर्मा, पिता रामलगन शर्मा, ग्राम-बाबू परसौनी, पोमनपुर मकरी, श्राना-बथवरिया, जिला- पश्चिम चम्पारण,	सम्पति के सभी भाग एवं हिस्सा श्रीमती उमा शाही पित श्री राजीव नारायण शाही के नामित। ग्राम बाबू परसौनी, पोमानपुर मकरी, थाना-बथविरया, जिला- पश्चिम चम्पारण, डीड नं 6254/09, मौजा - डुमविलया, थाना नं145, खाता नं114, खेसरा नं20 एमओ, रिज ऑफिस - बगहा, जिला- पश्चिम चम्पारण, रकवा :5 धुर 15 धुरकी, चौहद्दी- उत्तर-सुरेश चौरसिया, दक्षिण-दिनेश सिंह, पूरव-सरेही छावर, पश्चिम- लिलत मोहन पाण्डेय	मांग सूचना की तिथि 31,08,2022 अधिग्रहण सूचना की तिथि 23,11,2022	रू. 643149 + (31.08.22 से ब्याज देय एवं अन्य खर्च)	रू. 13,59,585 रू. 1,35,958	ज्ञात नहीं

बिक्री के नियम एवं शर्तै: 1. इच्छुक बोलीदाताओं को मुहरबन्द लिफाफे में अपनी बोली जमा करनी है। पैन कार्ड एवं फोटो पहचान पत्र के साथ ( लिफाफे के ऊपर स्पष्टत: और पटनीय बोली क्रम संo एवं प्रकाशन की तिथि वर्णित होनी चाहिए। 2. बोलीदाताओं को बोली के साथ अग्रिम में **बेतिया** में देययोग्य एवं प्राधिकत अधिकारी, **उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक** के पक्ष में डीडी/बैंकर्स चेक के रूप में जमा धरोहर राशि के रूप में आरक्षित मुल्य का 10% जमा/संलग्न करना होगा। सर्वोच्च बोली मुल्य ( आरक्षित मुल्य से कम की नहीं होनी चाहिए ) को सफल बोलीदाता के रूप में माना जाएगा। और शेष सफल बोलीदाताओं की ईएमडी एक सप्ताह के अन्दर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। 3. सफल बोलीदाता को डीडी/वैंकर्स चेक के रूप में उसी दिन/अगले दिन बोली रकम (ईएमडी शामिल रहेगा) का 25% जमा करना होगा और शेष अनिवार्य रूप से विक्री की पुष्टि के 15 दिनों के अन्दर जमा करना होगा, आगर वे ऐसा नहीं करते है उनके द्वारा पूर्व में जमा की गयी रकम जब्त कर ली जाएगी। 4. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताये या पूर्व सुचना दिये बोली/सर्वोच्च बोली को स्वीकार/अस्वीकार/रदद/निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्राधिकृत अधिकारी बिक्री/ नीलामी की तिथि को बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है। 5. प्राधिकृत अधिकारी किसी भी प्रकार के बकाया प्रभारों/देनदारियों/भार/करों/सरकारी बकायों और अन्य पक्ष के दावों व बकायों के लिए जवाबदेही नहीं होंगे। 6. सम्पत्ति को आरक्षित मुल्य से कम में किसी भी रकम पर बेचा नहीं जाएगा। सफल बोलीदाता को सभी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान स्वयं करना होगा। 7. सफल नीलामी के लिए स्टाम्प शुल्क पंजीकरण शुल्क, सम्पत्ति कर या राज्य सरकार को देय राशि आदि का वहन स्वयं करना होगा। 8. बोली/बिक्री बैंक की पुष्टि के अधीन होगी। सम्पत्ति को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो कुछ है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जा रहा है। 9. यह बोलीदाताओं की एकमात्र जिम्मेदारी है कि ये सम्पत्तियों के संबंध में संतुष्ट एवं पुष्ट हो लें। वे अपरान्ह 12.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक किसी भी कार्यदिवस पर संबंधित शाखा से समय लेकर सम्पत्ति को देख/निरीक्षण कर सकते हैं। 10. यह बिक्री नोटिस कर्जदारों/गारंटीकर्ता(ऑ)/बंधककर्ता(ऑ) के लिए विशेष रूप से तथा जनता/सर्वसाधारण के लिए सामान्तर रूप से है। 11. विक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए कृपया प्रतिभृत लेनदारों की वेबसाइट भें प्रदान किए गये लिंक यानी https://www.ubgb.in/sarfaesinotice.php.

दिनांक : 03.08.2024 स्थान : बेतिया प्राधिकृत अधिकारी

नरकटियागंज, वि अनुमंडल के सीमावर्ती क्षेत्रों काम एक बार पि प्रखंड से गुजरने से इन दिनों भार मिस्कट का अवै ग्रामीणों ने बता इस कारोबार में ग सक्रिय हैं। किंतु के अधिकारी जबिक अपने घ पहाड़ी नदियों से लाने पर सरकार्र करते हुए एफअ भेज देते हैं। ग्राम

बेतिया/नौतन, चुरामनपट्टी नि कुमार (37) व समीप एक अग गोली मारकर घ में 10 लोगों के दर्ज की गयी है। थानाध्यक्ष राजे प्रकाश रौशन क एफआईआर दर मफस्सिल थान निवासी सुमित चौक स्थित ब्र राजेश्वर गुप्ता, दुर्गा नगर के नि व सरज पटेल. पटेल बस स्टैंड सन्नी खटिक दिग्घीकाला वैश